

परियोजना या स्कीम की अवस्थिति:— जनपद चमोली के अन्तर्गत देवाल मुन्दोली मोटर मार्ग से जी0आई0सी0ल्वाणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	
(xxix) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उत्तराखण्ड
(xxx) जिला	चमोली
(xxxi) जिला वन प्रभाग	बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
(xxxii) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	0.806 है०
2— पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई नई वन भूमि की विधिक प्रस्थिति	सिविल / आरक्षित।
3— अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वनभूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्योरा—	संलग्न।
(xxix) वन का प्रकार	सिविल / आरक्षित।
(xxx) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व	0.2
(xxxi) प्रजातिवार स्थलवार या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना।	संलग्न।
(xxxii) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि की कार्यकरण योजना का नुस्खा	संलग्न।
4— भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीर्णता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू-वैज्ञानिक रिपोर्ट संलग्न।
5— वनभूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी	0.100 किमी०
6— वन्यजीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता	नहीं।
(xxxvi) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्योरा	नहीं।
(xxxvii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैवक्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अल्पवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्योरे और उपावह किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणी उपावह की जाय)	नहीं।
(xxxviii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैवक्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस किमी० के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्योरे और मुख्य वन्यजीव वार्डन की टीका-टिप्पणियाँ उपावह की जाय)	नहीं।
(xxxix) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक किमी० के भीतर अवस्थित है, (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्योरे और मुख्य वन्यजीव वार्डन की टीका-टिप्पणियाँ उपावह की जाए)	नहीं।
(xl) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जन्तु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियाँ हैं, तो उसके ब्योरे	नहीं।

7- क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिष्ठात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपावह किए जाने के लिए राक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ उसका व्यौरा दें।)	नहीं।
8- पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियाँ दें।	निम्नानुसार।
(xvii) क्या भाग-1 के पैरा 6 और 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	न्यूनतम है।
(xviii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	यदि वन भूमि न्यूनतम है।
9- किए गए अतिक्रमण के व्यौरा:-	
(xxv) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य की किया गया है (हां/नहीं)	नहीं।
(xxvi) यदि हां, की गई कार्य अधि, अतिक्रमण में अंतर्दालित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध की गई कार्यवाही।	नहीं।
(xxvii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति है (हां/नहीं)	नहीं।
10- क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के व्यौरा:-	
(xlix) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विवरण प्रस्थिति।	लागू नहीं (रिक्त पड़ स्थानों में वृक्षारोपण)
(i) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पाटिबल या खसरा सं० क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे व्यौरा दें।	लागू नहीं।
(li) क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के नूले में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और समीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं।	लागू नहीं।
(lii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के व्यौरा संलग्न हैं (हां/नहीं)	लागू नहीं।
(liii) क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिचय:-	प्रस्ताव में प्राक्कलन संलग्न।
(liv) क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रबन्धन के दृष्टिकोण से पहचान किए गए क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में संवद्ध उप वन संरक्षण से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)	लागू नहीं।
11- वनस्पति और जीवजन्तु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है। (हां/नहीं)	नहीं।
12- स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें।	जनहित में संमति दी जाती है।

स्थान:- गोपेश्वर।

दिनांक- 21-08-2020

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।